संख्या:11/2016/113जेएल/22-3-16-2जी/2016

प्रेषक,

आर0के0 दिवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 12 जनवरी, 2016***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा के बंदी हरिओम पुत्र श्री बाबूलाल के उपचार हेतु रूपये-60,000/-(रूपये साठ हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-821/सामा-1(5)/ब0चि0के0का0आगरा/2016, दिनांक 08-01-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार, आगरा के बंदी हरिओम पुत्र श्री बाबूलाल के उपचार हेतु रूपये60,000/-(रूपये साठ हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- उक्त बंदी का उपचार एस0जी0पी0जी0आई, लखनऊ में ही कराया जायेगा तथा उपचार के उपरान्त यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा करा दी जाय।

(2)- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत बंदी का उपचार कारागार विभाग द्वारा कराया जाना उसकी जीवन रक्षा के लिए अपरिहार्य एवं आवश्यक है तथा उक्त बंदी के शीघ्र ही कारागार से रिहा होने की कोई सम्भावना नहीं है।

(3)- कृपया यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2056-जेले-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशो के अधीन जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:11/2016/113जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
4. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।